



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



NR-III/19-20/17

दिनांक: 20 सितम्बर, 2019

श्री योगेश सिंह (पार्टनर),  
मैसर्स जया इंजीनियर्स एंड कन्ट्रैक्टर्स,  
पारीछा झांसी

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 30 अगस्त, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।


उपरोक्त पत्र में बांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,  
कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी  
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
"सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।  
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com  
फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,

  
(जसबीर सिंह) 20/9/19

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.नो.सू.अधिकारी

Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

अनुलग्नक-1

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री योगेश सिंह (पार्टनर), मैसर्स जया इंजीनियर्स एंड कोन्ट्रैक्टर्स, पारीछा झांसी द्वारा मांगी गई जानकारी।

प्रश्न संख्या : 2 का जवाब - हाँ

प्रश्न संख्या : 3 का जवाब - हाँ

प्रश्न संख्या : 4 का जवाब - कार्यवाही जारी है

प्रश्न संख्या : 5 का जवाब - चूंकि अभी कार्यवाही जारी है, अतः कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज सूचना अधिनियम की धारा 8 (1) (h) के तहत साझा नहीं किया जा सकता है।

-----x-----

आर.पी. सिंह  
20/09/2019